I/234639/2024

संख्या:234639/XXVII(9)/02–वि0अ0क0प्र0/2024/ई–76694

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–9 देहरादून, दिनांकः 28 अगस्त, 2024

विषयः– उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0 61/XXVII(7)36/2017 दिनांकः 02.04.2018 द्वारा ''वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018'' का प्रख्यापन किया गया है।

2. वर्तमान में पर्यावरणीय परिवर्तनों के दृष्टिगत राज्य में हो रही अतिवृष्टि के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटना में असामान्य रूप से वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है, जिस कारण स्थानीय स्तर पर तात्कालिक राहत कार्य कराए जाने आवश्यक होने तथा स्थानीय निवासियों के रोजगार सृजन तथा राज्य से पलायन रोकने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक शासनादेश सं0 434/XXVII(7)/36/2010 दिनांकः 23.12.2019 के विवरण पत्र–4 ''ठेके और टेण्डर'' के क्रमांक–4 में उल्लिखित 'अधिकार का प्रकार' एवं 'परिसीमाएं' में निम्नानुसार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
4.	₹5.00 लाख तक के कार्य कार्यादेश (वर्कऑर्डर) के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों से कराया जाना।	अधिशासी अभियन्ता	₹5,00,000/– (₹ पांच लाख) तक	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार तथा आय–व्यय क में प्रावधानित धनराशि की सीमा तक।

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 28/08/2024 05:26 PM

I/234639/2024

2. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश सं0 434/XXVII(7)/36/2010 दिनांकः 23.12.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए, शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 23-08-2024 11:11:09
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या: 234639/XXVII(9)/ वि0अ0क0प्र0/2024/ई–76694, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, वैभव पैलेस, कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
Signed by C Ravi Shankar
Date: 28-08-2024 16:27:52
(सी0 रविशंकर)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 28/08/2024 05:26 PM